



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072025-264378
CG-DL-E-04072025-264378

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 2025/आषाढ़ 13, 1947

No. 406]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 2025/ASHADHA 13, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 449(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी और ट्रेड्समैन काडर) भर्ती नियम, 2014 को, जहां तक उनका संबंध सामान्य ड्यूटी काडर, उपनिरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उपनिरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, उपनिरीक्षक (सामान्य ड्यूटी), सामान्य ड्यूटी काडर, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "महानिदेशक" से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक अभिप्रेत हैं;
(ख) "शेप-1" से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दिनांक 15 दिसंबर, 2008 के स्थायी आदेश संख्या-04/2008 और इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए पश्चातवर्ती संशोधनों के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा श्रेणी अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में समनुदेशित किए गए हैं।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **प्रोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम-** पोषक (फीडर) रैंक के व्यक्ति को उच्चतर रैंक पर प्रोन्नति के लिए सेवा पात्रता अवधि पूरी करने से पहले अपनी वरिष्ठता के क्रम में अर्हक पाठ्यक्रम पूरा करना होगा और बल के ऐसे प्रत्येक सदस्य को, किसी प्रोन्नति से पहले, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट प्रोन्नति-पूर्व और प्रोन्नति पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा:

परन्तु यह कि यदि महानिदेशक को यह विश्वास हो कि सेवा की अनिवार्यताओं या अन्य अपरिहार्य कारणों से ऐसा कोई सदस्य अपेक्षित प्रोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम पूरा करने में समर्थ नहीं है, तो वह बल के ऐसे सदस्य को प्रोन्नति दे सकते हैं, परन्तु कि वह प्रोन्नति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करेगा, जिसमें असफल रहने पर उसे पूर्व रैंक और प्रास्थिति में पदावनत कर दिया जाएगा।

6. **ज्येष्ठता**—ज्येष्ठता केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।
7. **निरर्हता- वह व्यक्ति,-**

(ए) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(बी) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

8. **गैर भारतीय नागरिकों की निरर्हता**— किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है, इन नियमों के अधीन लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा:

परन्तु इस नियम में विहित कोई भी बात नेपाल अथवा भूटान के नागरिकों को बल में नियुक्ति या नियोजित करने से वर्जित नहीं कर सकेगी।

9. **अधिवर्षिता-** (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति जिस माह में साठ वर्ष की आयु पूरा करता या करती है, उस महीने के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जैसा विहित किया जाए:

परन्तु वह व्यक्ति जिसकी जन्म तारीख महीने की पहली तारीख को है, वह वर्ष 60 या सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने के पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्ति होगा।

(2) किसी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु के पश्चात सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा जैसा कि उप नियम(1) में विनिर्दिष्ट है।

10. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

11. **व्यावृत्ति**— इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उपनिरीक्षक (सामान्य झूटी)	*18342 (2025) पुरुष-17769 और महिला-573 *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'बी', अराजपत्रित, - अननुसचिवीय, योद्धक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (रु. 35400-112400/-)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा

(6)

20 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं

(7)

आवश्यक अर्हताएं :- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामले में समतुल्य सैन्य योग्यता आवश्यक है।

टिप्पणी: भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानक समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार लागू होंगे।

वांछनीय योग्यता:- राष्ट्रीय कैडेट कोर 'बी' या राष्ट्रीय कैडेट कोर 'सी' प्रमाण पत्र या उत्कृष्ट खेलकूद या एथलेटिक्स प्रमाण पत्र।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(i) 60 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 30 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (iii) 10 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, अन्यथा प्रोन्नति द्वारा।

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (रु. 29200-92300) में स्तर-5 में सहायक उप-निरीक्षक, जिसने उस ग्रेड में छह साल की नियमित सेवा के साथ एक फील्ड यूनिट में सहायक उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) के रूप में दो साल की सेवा की हो, और जो,</p> <p>(i) महानिदेशक द्वारा निर्धारित पूर्व-प्रोन्नतीय या प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण कर लिया हो;</p> <p>(ii) चिकित्सा श्रेणी शेष-1 में है; और</p> <p>(iii) सेवा रिकार्ड अच्छा हो।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा:-</p> <p>(1) वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रुपये) में स्तर 5 में ऐसे सहायक उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) जिन्होंने ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा और विहित प्रोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो:</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 3. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 4. सहायक कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 3. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 4. सहायक कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 	<p>लागू नहीं होता</p>

<p>परन्तु सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर, जिसे प्रत्येक अवसर पर निर्दिष्ट किया जाएगा, वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपये) में स्तर 4 में हवलदार (सामान्य झूटी), जिसने ग्रेड में कम से कम छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स (21700-69100 रुपये) में स्तर 3 में सिपाही (सामान्य झूटी), जिसने ग्रेड में कम से कम नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो, वह भी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा, परन्तु कि उसके पास अर्हताएँ हो और वह उक्त परीक्षा के लिए विहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।</p> <p>(2) परीक्षा के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होगी।</p> <p>(3) सेवा रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए।</p>		
--	--	--

[फा. सं. एम.पाँच-1/2022-सीआरपीएफ-स्थापना (कार्मिक /प्रकोष्ठ)(उ.नि./जीडी)]

आर. जोसेस वषुम, अवर सचिव (कार्मिक II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd July, 2025.

G.S.R. 449(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force, Group ‘B’ posts (General Duty, Technical and Tradesmen Cadre) Recruitment Rules, 2014 in so far as they relate to the post of General Duty Cadre, Sub-Inspector (General Duty), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Sub-Inspector (General Duty) in the Central Reserve Police Force, namely:-

- 1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Sub-Inspector (General Duty), General Duty Cadre, Group ‘B’ Post Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) “Director General” means the Director General, Central Reserve Police Force;
(b) “SHAPE-1” refers to the Medical Category as specified under the Central Reserve Police Force Standing Order No. 04 of 2008 dated the 15th December, 2008 and subsequent amendments issued in this regard from time to time.
(2) Words and expressions used herein and not defined, shall have the same meanings assigned to them in the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and the Central Reserve Police Force Rules, 1955.
- 3. Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules

- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 5. Pre-promotional courses.-** The person in the feeder rank shall undergo qualifying courses before completing the service eligibility period for promotion to higher rank, in order of their seniority and every such member of the Force shall, before any promotion, be required to pass pre-promotion and promotional course referred to in the said Schedule :
- Provided that if the Director General is satisfied that due to exigencies of service or other unavoidable reasons, any such member is not able to undergo the required pre-promotional courses, he may promote such member of Force, subject to passing of pre-promotional course within a period of two years, from the date of promotion, failing which he shall be reverted to previous rank and status.
- 6. Seniority.-** Seniority shall be regulated in accordance with the Central Reserve Police Force Rules, 1955 and general instructions issued by the Central Government from time to time.
- 7. Disqualification.-** No person,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:
- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
- 8. Ineligibility of non-citizens of India.-** No person, who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed or employed under these rules:
- Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.
- 9. Superannuation.-** (1)The person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time :
- Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall stand retired from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.
- (2) No person shall be granted extension in service beyond the age of retirement on superannuation as specified in sub-rule (1).
- 10. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.
- 11. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and others special categories of persons, in accordance with the orders, issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sub-Inspector (General Duty).	*18342 (2025) Male-17769 and Female-573 *(Subject to variation dependent upon work load).	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial, combatant.	Level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.
(6)
Between 20 and 25 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).
Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)
Essential qualifications: Graduation from recognised University or equivalent and in the case of Ex-Army personnel, equivalent Army qualification is required.
Note: Physical and Medical Standards for recruitment shall be applicable as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time.
Desirable qualification: Possession of National Cadet Corps 'B' or National Cadet Corps 'C' certificate or outstanding sports or athletics certificate.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	(i) 60 percent. by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) 30 percent. by promotion; (iii) 10 percent. by Limited Departmental Competitive Examination failing which by promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Assistant Sub-Inspector in level 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) with six years regular service in the grade with two years of service as Assistant Sub-Inspector (General Duty) in a field unit, and who,___</p> <p>(i) has passed pre-promotional or promotional course or courses prescribed by the Director General; (ii) is in Medical category SHAPE-1; and (iii) has good record of service.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force - Chairman Commandant, Central Reserve Police Force - Member; Second-in-command or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member; Assistant Commandant, Central Reserve Police Force - Member. 	Not applicable.

<p>eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Limited Departmental Competitive Examination:</p> <p>(1) Assistant Sub-Inspector (General Duty) in level 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) with at least four years regular service in the grade and has completed prescribed pre-promotional training:</p> <p>Provided that at the discretion of the competent authority, to be specified on each occasion, Head Constable (General Duty) in level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with at least six years regular service in the grade or Constable (General Duty) in level 3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with at least nine years regular service in the grade, shall also be eligible to appear at the limited departmental competitive examination subject to possessing qualifications and fulfilling other eligibility conditions prescribed for the said examination.</p> <p>(2) The educational qualification required for the examination shall be graduation from a recognised University.</p> <p>(3) Should have good record of Service.</p>	<table><tr><th>Group 'B' Committee (for considering confirmation)</th><th>Confirmation</th></tr><tr><td>1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force</td><td>- Chairman;</td></tr><tr><td>2. Commandant, Central Reserve Police Force</td><td>-Member;</td></tr><tr><td>3. Second-in-command or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force</td><td>- Member;</td></tr><tr><td>4. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force</td><td>- Member.</td></tr></table>	Group 'B' Committee (for considering confirmation)	Confirmation	1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force	- Chairman;	2. Commandant, Central Reserve Police Force	-Member;	3. Second-in-command or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force	- Member;	4. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force	- Member.
Group 'B' Committee (for considering confirmation)	Confirmation										
1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force	- Chairman;										
2. Commandant, Central Reserve Police Force	-Member;										
3. Second-in-command or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force	- Member;										
4. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force	- Member.										

[F. No. M.V 1/2022-CRPF-Estt (P/Cell)(SI/GD)]

R. JOSES VASHUM, Under Secy. (Pers.II)